Cairn to target more cos to recover money from govt

AMMAR ZAIDI
New Delhi, June 27

AFTER AIR INDIA, Britain's Cairn Energy plans to target assets of state-owned firms and banks in countries from the US to Singapore as it looks to ramp up efforts to recover the amount due from the Indian government after winning an arbitration against levy of retrospective taxes.

A lawyer representing the company said Cairn will bring lawsuits in several countries to make state-owned firms liable to pay the $1.2 billion plus interest and penalties that are due from the Indian government.

Last month, Cairn brought a lawsuit in the US District Court for the Southern District of New York pleading that Air India is controlled by the Indian government so much that they are 'alter egos' and the airline should be held liable for the arbitration award.

"There are a number of state enterprises which we are considering for enforcement action. Enforcement action will be soon and it may not be in the US," Dennis Hranitzky, head of the sovereign litigation practice at Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, a law firm representing the company, told *PTI*.

A three-member international arbitration tribunal that consisted of one judge appointed by India had unanimously in December overturned levy of taxes on Cairn retrospectively and ordered refund of shares sold, dividend confiscated and tax refunds withheld to recover such demand.

The government of India, despite participating in the arbitration proceeding over four years, has not accepted the award and has filed a 'setting aside' petition in a court in Netherlands — the seat of the arbitration.

Pressed by its shareholders — some of whom are biggies of the financial world, Cairn is seeking to recover the award by confiscating assets and bank accounts of state-owned entities in foreign countries.

"The (arbitration) award is registered and either recognised or soon to be recognised in several countries, and Cairn will continue to ramp up enforcement proceedings around the world to pursue the value of the award for its international shareholders," he said.

He, however, refused to either name the companies that Cairn will target or the countries where lawsuits will be filed. **—PTI**

ARBITRATION AGAINST $1.2-BN TAX

- The British firm looks to recover dues from the Indian govt after winning an arbitration against levy of taxes
- Cairn has identified $70 bn of assets overseas for potential seizure
- The assets identified range from Air India's planes to vessels belonging to the Shipping Corporation of India, and properties owned by state banks to oil and gas cargoes of PSUs
- Last month, Cairn brought a lawsuit in the US court pleading that Air India should be held liable for the arbitration award

India's coal import rises 30% to 22 million tonne in April

INDIA'S COAL IMPORT rose 30.3% to 22.27 million tonne in April amid supply concerns and demand for pre-monsoon restocking of dry fuel.

The country had imported 17.09 million tonne of coal in April last year, according to a provisional compilation by mjunction services, based on monitoring of vessels' positions and data received from shipping companies.

"India's coal and coke imports in April 2021 through the major and non-major ports are estimated to have increased by 30.3% over April 2020... Imports in April 2021 stood at around 22.27 million tonne (MT) as against 17.09 MT imported in April 2020," it said.

"The demand for pre-monsoon restocking and supply concerns led to a surge in coal import during the month under review," Vinaya Varma, MD & CEO, mjunction services, said. **—PTI**

फर्जी कंपनी बनाकर 24 बैंकों को लगाई चपत

चार हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी में गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 जून।

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने कई बैंकों को करोड़ों रुपए का चूना लगाने वाले एक कंपनी के निदेशक को गिरफ्तार किया है। आरोपी फर्जी कंपनी के आधार पर बैंक से कर्ज लेता था। जानकारी के मुताबिक, आरोपी अब तक 24 बैंकों को 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगा चुका है। आरोपी की पहचान हिमाचल प्रदेश निवासी 42 साल के विनय शर्मा के तौर पर की गई है।

आरोपी पेशे से कारोबारी है और इस परिवार के कई कारोबार है, जिसमें पेट्रोल पंप भी शामिल है। विनय शर्मा के खिलाफ सीबीआइ के पास भी धोखाधड़ी का मामला लंबित है। साथ ही हिमाचल प्रदेश में आरोपी के खिलाफ आबकारी विभाग को करोड़ों की रकम हजम करने का आरोप है। आरोपी के खिलाफ बीती 2016 में बारांखंभा थाना पुलिस से शिकायत की गई थी, जिसके बाद मामले को आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दिया गया था।

आर्थिक अपराध शाखा के अतिरिक्त आयुक्त आरके सिंह ने रविवार को बताया कि सबसे पहले स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक ने 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की शिकायत विनय शर्मा और आरके शर्मा के खिलाफ दर्ज करवाई थी। दोनों इंडियन टैक्नोमैक लिमिटेड के निदेशक थे। आयुक्त ने बताया कि जब इस मामले की छानबीन शुरू की गई तो पता चला कि आरोपी 15 बैंकों को 1528 करोड़ रुपए का चूना लगा चुका है। इसके साथ ही अन्य नौ बैंकों से 555 करोड़ ठगे हैं। हिमाचल प्रदेश में आरोपी के खिलाफ 2000 करोड़ का आबकारी विभाग को नहीं चुकाने का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने बताया कि छानबीन के दौरान पता चला कि जिन कंपनियों को आधार मानकर आरोपी बैंकों से कर्ज लेता था वे कंपनियां कहीं थी ही नहीं।

इसके अलावा वाहनों के नंबर दिल्ली से हिमाचल प्रदेश सामानों को लाने-ले जाने के लिए दिए गए थे सभी फर्जी निकले (यातायात विभाग की साइट से बताया गया कि दिए गए नंबर या तो स्कूटी के हैं या फिर मोटरसाइकिल के हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि वे वाहन भी किसी और के नाम पर पंजीकृत थे।

ऐसे करता था ठगी

- फर्जी कंपनी बनाकर आरोपी वाहनों का नंबर उपलब्ध करवाता था
- ट्रांसपोर्ट का काम भी बताकर ठगता था
- आरोपी फर्जी बिल और रसीद बनाता था
- बैंक से आरोपी कर्ज लेता था, दूसरी कंपनी को अपना सहयोगी कंपनी बताता था
- आरोपी बैंक कर्ज न चुकाकर कार्यालय बंद कर फरार हो जाता था

खाना पहुंचाने वाली कंपनी के कर्मचारी से पिटाई, वीडियो चर्चित

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 27 जून।

सेक्टर-100 स्थित एक रेस्तरां के कर्मचारियों ने किसी बात पर हुई कहासुनी में रविवार रात को खाना पहुंचाने वाली जोमैटो कंपनी के एक कर्मचारी की जमकर पिटाई कर दी। आसपास के लोगों की मदद से युवक को छुड़ाया गया। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चित हो रहा है।

सेक्टर-100 स्थित एक मॉल के पास रेस्तरां है। यहां पर रात को जोमैटो कंपनी की ओर से युवक खाना डिलीवरी करने के लिए लेने आया था। इसी बीच किसी बात को लेकर रेस्तरां कर्मचारियों और युवक के बीच कहासुनी हो गई। कुछ देर बाद ही रेस्तरां कर्मचारियों ने युवक पर हमला कर दिया। कर्मचारियों ने लात घूसों से युवक की जमकर पिटाई की। मामला बढ़ता देख आसपास के लोगों की मदद से युवक को छुड़ाया गया। युवक को घायल अवस्था में नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। वहीं, मारपीट की वीडियो कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया पर चर्चित हो गया। लोगों ने ट्विटर पर वीडियो चर्चित कर मारपीट करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने अपने स्तर पर मामले की जांच शुरू कर दी है।

नवविवाहिता का शव घर में लटकता पाया गया

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 27 जून।

गौतमबुद्ध नगर के थाना दादरी क्षेत्र के कस्बा दादरी में एक नवविवाहिता का शव रविवार देर रात को उसके घर में पंखे के फंदे से लटका हुआ पाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद मृतका के ससुराल पक्ष के लोग घर छोड़कर भाग गए हैं।

पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना दादरी के प्रभारी निरीक्षक प्रदीप त्रिपाठी ने बताया कि कस्बा दादरी में रहने वाले अरमान की गत फरवरी में हिना (21) के साथ शादी हुई थी। उन्होंने बताया कि रविवार की रात को हिना का शव घर में पंखे के फंदे से लटका हुआ मिला है। त्रिपाठी ने बताया कि मृतका के ससुराल पक्ष के लोग घर से भाग गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि मृतका के मायके वालों को घटना की सूचना दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

SBI
भारतीय स्टेट बैंक
एएमएल/सीएफटी विभाग, कॉर्पोरेट सेंटर,
4 था मजला,, प्रशासनिक कार्यालय भवन, ए-5, नेहरू प्लेस, टोंक रोड, जयपुर - 302015

प्रस्ताव हेतु अनुरोध

भारतीय स्टेट बैंक ने ''एक नए कस्टमर रिस्क कैटेगराइजेशन (सीआरसी) मॉडल के विकास'' के लिए एक परामर्शदाता की संबद्धता हेतु प्रस्ताव का अनुरोध (आरएफपी) जारी किया है. (आरएफपी नं. AML-CFT/002/2021-22 दिनांकित 28.06.2021).
विस्तृत जानकारी के लिए कृपया बैंक की वेबसाइट **https://bank.sbi** पर विज़िट करें और ''प्रोक्योरमेंट न्यूज़'' अनुभाग देखें और ई-प्रोक्योरमेंट एजेन्सी पोर्टल **https://etender.sbi/SBI** पर विज़िट करें.

स्थान: जयपुर (राजस्थान) डीजीएम (एएमएल-सीएफटी)
दिनांक: 28.06.2021 (परियोजना एवं प्रक्रिया उन्नयन)

IFCI LIMITED
आई एफ सी आई लिमिटेड
(A Government of India Undertaking)
(भारत सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालयः आईएफसीआई टावर, 61 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली-110019
फोनः 011-41732000 / 41792800
वेबसाइटः www.ifciltd.com
CIN : L74899DL1993GOI053677
ईमेलः complianceofficer@ifciltd.com

शेयरधारकों को सूचना

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 (6) के अधीन कम्पनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा व सुरक्षा निधि प्राधिकरण (आईईपीएफ) में अन्तरण

यह सूचना एतद्वारा **निवेशक शिक्षा तथा सुरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा-परीक्षा, अन्तरण और वापसी) संशोधन नियम, 2017 ("नियम")** के प्रावधानों के अनुसरण में दी जाती है। नियमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, उन शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अन्तरण करने के प्रावधान भी शामिल हैं, जिनके सम्बन्ध में लगातार 7 या उससे अधिक वर्षों से शेयरधारकों को लाभांश अदा नहीं किया गया और/या उनके द्वारा इसका दावा नहीं किया गया।

नियमों के प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी ने सभी सम्बन्धित शेयरधारकों, जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अन्तरित किए जाने हैं, को अलग-अलग सूचित कर दिया है। ऐसे शेयरधारकों के समुचित विवरण, कम्पनी की वेबसाइट https://www.ifciltd.com/?q=content/unclaimed-investors पर भी उपलब्ध हैं।

सम्बन्धित शेयरधारक, जिनके पास भौतिक रूप से शेयर हैं और जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अन्तरित किए जाने हैं, वे नोट करें कि कम्पनी, नियमों के अनुसार, आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में ऐसे शेयरों के अन्तरण के उद्देश्य से उनके द्वारा धारित मूल शेयर प्रमाणपत्र के स्थान पर डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी कर रही है और इस अन्तरण के बाद उनके नाम पर पंजीकृत मूल शेयर प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे और बेचने योग्य नहीं रह जाएंगे। शेयरधारक यह भी नोट करें कि इस सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा इसकी वेबसाइट पर डाले गए विवरणों को ही नियमों के अनुसरण में शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण में अन्तरण के उद्देश्य से कम्पनी द्वारा डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के सम्बन्ध में पर्याप्त सूचना मानी जाएगी। यदि शेयर डी-मैट रूप में धारित हैं और अन्तरित किए जाने हैं तो कम्पनी निगमित कार्यवाही द्वारा इन शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खातों में अन्तरित कर देगी।

दिनांक 27 अगस्त, 2014 को आयोजित वार्षिक महासभा में वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए शेयरधारकों द्वारा 10% की दर से लाभांश की घोषणा की गई थी। वित्तीय वर्ष 2013-14 के अदावाकृत/अप्रदत्त लाभांश 29 सितम्बर, 2021 (7 वर्ष पूरे होने की तारीख) को आईईपीएफ में अन्तरित किए जाने होंगे। जिनके विवरण कम्पनी की वेबसाइट के ऊपर दिए गए लिंक पर उपलब्ध हैं। यदि कम्पनी/रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट को वित्तीय वर्ष 2013-14 और उसके बाद के अप्रदत्त लाभांश के लिए शेयरधारकों से 28 सितम्बर, 2021 (सायं 5:00 बजे आईएसटी) तक कोई दावा/आवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अन्तरित कर दिए जाएंगे। एक बार यदि शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अन्तरित कर दिया जाता है तो उन शेयरों पर प्रोद्भूत सभी लाभ भी आईईपीएफ प्राधिकरण के पक्ष में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। अप्रदत्त लाभांश और/या शेयरों का दावा शेयरधारकों द्वारा नियमों में निर्धारित अपेक्षित प्रक्रिया को अपनाते हुए किया जा सकता है।

उक्त मामले पर किसी स्पष्टीकरण या पूछताछ के लिए, शेयरधारक कम्पनी से उक्त उल्लिखित पते पर सम्पर्क कर सकते हैं या कम्पनी के रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट अर्थात मैसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लि., एफ-65, प्रथम मंजिल, ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-I, नई दिल्ली-110020, फोन 011-41406149/51/52, ई-मेलः admin@mcsregistrars.com; helpdeskdelhi@mcsregistrars.com से सम्पर्क कर सकते हैं।

कृते आईएफसीआई लि.
ह./-
(रूपा देब)
कम्पनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 जून, 2021

अपील: सदस्य कम्पनी से ऑनलाइन माध्यमों से वार्षिक रिपोर्ट/अदावाकृत लाभांश/अन्य संप्रेषण प्राप्त करने के लिए कम्पनी के रजिस्ट्रार एण्ड ट्रांसफर एजेंट या सम्बन्धित डीपी के पास अपने ई-मेल आईडी/बैंक विवरण/मोबाइल नम्बर रजिस्टर कराएं।

प्रपत्र सं. आईएनसी-26
[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए विज्ञापन
केन्द्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली क्षेत्र के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में
तथा
मनसा प्रिन्ट एंड पब्लिशर्स लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं. 781, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-II, चंडीगढ़-160002 में है।
.... आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि **''चंडीगढ़ संघ क्षेत्र''** से **''पंजाब राज्य''** में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 29 मई, 2021 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल **(www.mca.gov.in)** पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके ऊपर वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक के पते उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

कृते एवं के लिये
मनसा प्रिन्ट एंड पब्लिशर्स लिमिटेड
तिथि: 28.06.2021 राजेश गुप्ता
स्थान: चंडीगढ़ निदेशक

आस्तियों की बिक्री हेतु सूचना
एसआरएस लिमिटेड परिसमापनाधीन
सीआईएन : L74999HR2000PLC040183
पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय : दूसरी मंजिल, एसआरएस मल्टीप्लेक्स, सेक्टर-12, फरीदाबाद, हरियाणा-121007
परिसमापक : श्री अशोक कुमार गुल्ला
परिसमापक का पता : 23, साउथ पटेल नगर, नई दिल्ली-110008

ऋणशोध अक्षमता तथा दिवालिया संहिता 2016 के तहत परिसमापनाधीन आस्तियों की बिक्री ई-नीलामी बिक्री सूचना

माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, चण्डीगढ़ पीठ द्वारा आदेश दिनांक 15.10.2019 के माध्यम से नियुक्त परिसमापक के कब्जे में परिसमापन का भाग निर्मित करने वाली एसआरएस लिमिटेड के स्वामित्व की आस्तियों की बिक्री।

क्र. सं.	आस्तियाँ	ब्लॉक	आरक्षित मूल्य (रु. में)	जमा धरोहर राशि (रु. में)
1.	एसआरएस पटियाला सिनेमा, ओमेक्स मॉल, कारली मन्दिर के निकट, पटियाला, पंजाब-147001	ब्लॉक 1	2,13,00,000	21,30,000
2.	एसआरएस फिरोजपुर सिनेमा, सेक्टर-31, फिरोजपुर मॉल, फरीदाबाद-121003 पर स्थित	ब्लॉक 2	39,00,000	3,90,000
3.	एसआरएस एंटरटेनमेंट इंडिया लिमिटेड का 100% इक्विटी शेयर	ब्लॉक 3	3,73,24,800	37,32,248
4.	''एसआरएस सिनेमा'' ब्रांड	ब्लॉक 4	48,60,000	4,86,000

ई-नीलामी की बिक्री https://ncltauction.auctiontiger.net के माध्यम से की जायेगी।
ई-नीलामी ''जहाँ है जैसे है आधार'', ''जो है यही है आधार'', ''जो कुछ भी है वहीं है आधार'' तथा ''उपचार रहित आधार'' पर संचालित की जायेगी।
इच्छुक बोलीदाता द्वारा ईएमडी जमा करने हेतु अन्तिम तिथि 12.07.2021 है। ई-नीलामी 14.07.2021 को संचालित की जायेगी। संविदा वृद्धि ब्लॉक 1 से ब्लॉक 4 के लिए रु. 2,00,000 की वृद्धि के साथ जमा की जा सकती है।
नीलामी का समय : ब्लॉक 1 से ब्लॉक 4-10.00 बजे प्रातः से 04.00 बजे अप. तक
यदि संविदाएं अंतिम 15 मिनटों में प्राप्त की जाती है तो संविदा का समय अपने 15 मिनट के लिए बढ़ जाएगा।
आस्तियों के विवरण तथा अन्य प्रासंगिक सूचना सहित सम्पूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज वेबसाइट https://rbsa.in/announcements.html या https://ncltauction.auctiontiger.net पर उपलब्ध है या ip.srs@rbsa.in पर ई-मेल द्वारा प्राप्त की जा सकती है। ऑक्शन टाइगर से सम्बन्धित किसी सहायता के लिए कृपया सम्पर्क करें : श्री प्रवीण कुमार थेवर : 9722778828, 079-6813 6854/55/51 079-68136800.
अधिक विवरण के लिए कृपया सम्पर्क करें : श्री अशोक कुमार गुल्ला, मोबाइल नं. +91-9674713222, श्री धीरज मदान, मोबाइल नं. +91-9999808581 तथा सुश्री प्रेरणा जैन, मोबाइल नं. +91-7011096895.

ह./-
अशोक कुमार गुल्ला
एसआरएस लिमिटेड के लिए परिसमापक
IBBI/IPA-003/IP-N00024/2017-2018/10174
ashok.gulla@rbsa.in; ip.srs@rbsa.in
आरबीएसए रीस्ट्रक्चरिंग एडवाइजर्स एलएलपी
फ्लैट नं. 23, आई.ए.पी.एल. हाउस, दूसरी मंजिल,
साउथ पटेल नगर, नई दिल्ली-110008

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 28.06.2021

ADVERTISEMENT IN ACCORDANCE UNDER REGULATION 18(7) IN TERMS OF SEBI (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVER) REGULATIONS, 2011, AND CORRIGENDUM TO THE DETAILD PUBLIC ANNOUNCEMENT WITH RESPECT TO THE OPEN OFFER TO THE SHAREHOLDER OF
SPECULAR MARKETING AND FINANCING LIMITED
CIN: (L51900MH1985PLC034994)
Registered Office: EC-4052, 4th Floor, Bharat Diamond Bourse, BKC, Mumbai City MH - 400051
Tel No.: 022-22657423 | Email id.: specmkt@gmail.com | Website: www.specularmarketing.com;

This advertisement ("Offer Opening Public Announcement") and Corrigendum is being issued by Fast Track Finsec Private Limited ("Manager to the Offer") on behalf of Mr. Sanjiv Mulchand Sawla ("Acquirer 1") (PAN: AAHPS7500A), Mr. Mulchand Lakhamsi Sawla ("Acquirer 2") (PAN: AAIPS0440G), pursuant to Regulation 18(7) of Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulation, 2011, as amended ["SEBI (SAST) Regulation, 2011"/"Regulation"], in respect of the open offer letter to acquire upto 2,20,480 (Two Lakh Twenty Thousand Four Hundred and Eighty) Equity Shares of INR 10/- (Rupees Ten Only) each of Specular Marketing and Financing Limited ("Specular" or "the Target Company" or "TC") representing 26.00% of the Expanded shares capital on a fully diluted basis carrying voting rights of the Target Company. The Detailed Public Statement ("DPS") with respect to the Offer was published in Financial Express (English All Edition), Jansatta (Hindi - All edition) and Mumbai Lakshdeep (Mumbai edition) on April 16th, 2021 (Friday)

1. **Offer Price:**
   The Offer Price is INR 100/- (Rupees One Hundred Only) per Equity Share. There has been no revision in the Offer Price.
2. **Recommendations of the Committee of the Independent Directors of the Target Company**
   The Committee of the Independent Directors of the Target Company ("IDC") published its recommendations on the Offer on June 25th, 2021 in the same newspapers where the DPS was published. Based on the review, IDC Members believe that the Offer is fair and reasonable in line with the SEBI (SAST) Regulation, 2011.
3. The offer is not a competing offer in terms of the Regulation 20 of SEBI (SAST) Regulations, 2011. There was no competing offer to the Offer and the last date for making such competing offer has expired. The offer is not conditional upon any minimum level of acceptance in terms of Regulation 19(1) of SEBI SAST Regulations, 2011.
4. **Dispatch of Letter of Offer to the public shareholders**
   The dispatch of the Letter of Offer to all the Public Shareholders of the Target Company holding Equity Share on the Identified Date i.e. Tuesday, June 15th, 2021 has been completed through the registered post on June 22nd, 2021. The Identified Date was relevant only for the purpose of determining the Public Shareholders as on such date to whom the Letter of Offer was to be sent. It is clarified that all the Holders (registered or unregistered) of Equity Shares (except the Acquirers and PAC) are eligible to participate in the Offer any time during the Tendering Period. A copy of the Letter of Offer (which includes the Form of Acceptance -cum- Acknowledgment) is also available on the SEBI's website (**www.sebi.gov.in**).
5. **Instructions to the Public Shareholders**
   a. In case the shares are held in physical form
   Public Shareholders holding Equity Shares in physical form may participate in the Open Offer through their respective Selling Broker by providing the relevant information and documents as mentioned in paragraph 8.2 (page 19) of the LoF.
   b. In case the shares are held in demat form
   Public Shareholders who desire to tender their Equity Shares in the electronic / dematerialized form under the Offer would have to do so through their respective Selling Brokers by giving the details of Equity Shares they intend to tender under the Offer and as per the procedure specified in paragraph 8.3 (page 20) of the LoF
   c. Procedure for Tendering the Shares in case of Non-Receipt of the Letter of Offer
   In case of non-receipt of the LoF, the Public Shareholders holding the Equity Shares may download the same from the webistes of SEBI at **www.sebi.gov.in**, Manager to the Offer at **www.ftfinsec.com** and BSE at **www.bseindia.com.** Alternatively, they may participate in the Offer by providing their application in plain paper in writing signed by all shareholder(s), stating name, address, number of Equity Shares held, client ID number, DP name, DP ID number, number of Equity Shares tendered and other relevant documents and other relevant documents as mentioned in Paragraph 8.5 (Page 21) of the LoF.
6. **Any other change suggested by SEBI in their comments to be incorporated**
   In terms of Regulation 16(1) of the SEBI SAST Regulations, 2011 the draft Letter of Offer was submitted to SEBI on April 26th, 2021 (Draft Letter of Offer). On June 14th, 2021, SEBI, vide its email, issued its comments on the Draft Letter of Offer. These comments have been incorporated in the Letter of Offer. These comments and other key changes (occurring after the date of the Public Announcement) have been incorporated in the LoF. These changes in the LOF include the following: (i) on page no. 2, updates to the schedule of major activities of the Open Offer, and consequential updates to the dates mentioned in the LoF; (ii) on page no. 1, PAN of acquirer mentioned in LoF; (iii) on page no. 1 and page no. 11 at point 3.2 Number of Shares revised as per corrigendum issued in the matter; (iv) in page no. 17 Pre and Post offer shareholding Pattern of target company; (v) in para 6, 6.2.3, 6.2.4 and 9 on pages 18, 19 and 23.
7. **Any other material change from the Date of Public Announcement**
   There have been no material changes in relation to the Offer since the date of the PA, save as otherwise disclosed in the Corrigendum to PA, DPS and DLOF and are disclosed below for reference:

7.1. **Upward Revision of the Offer Size**: The Offer Size being 64,480 (Sixty Four Thousand Four Hundred Eighty) Equity Share representing 26% of the total share capital of the Company has been revised to 2,20,480 (Two Lakh Twenty Thousand Four Hundred Eighty Only) Equity Share representing 26% of the Expanded Voting Share Capital.

7.2 **Fund Requirements:** Consequently the upward revision of the Offer Size as mentioned above, the total fund requirement for the Offer (assuming full acceptance) is INR 2,20,48,000/- (Rupees Two Crores Twenty Lakhs Forty Eight Thousand Only) ("Revised Maximum Consideration") for acquisition of revised offer size 2,20,480 equity shares.

7.3 **Revision of Escrow Account**: The Acquirers have enhanced the value of the Escrow Account and have made a cash deposit of 17,00,000/- (Rupees Seventeen Lakh) and deposit/pledge Equity Shares of the value of INR 39,38,500/- (Rupees Thirty Nine Lakh Thirty Eight Thousand Five Hundred Only) of the Titan Company Limited, Indusind Bank Limited and Larsen & Toubro Limited with the Merchant Banker being more than 25% of the total consideration payable to the shareholders under the offer (assuming full acceptance by the shareholders) to realize the value of the Escrow Account in terms of Regulation 21(1) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011

8. Status of Statutory and Other Approvals
   As of the date of the LoF, to the best of the knowledge of the Acquirer and PACs, there are no statutory or other approvals required to complete the Offer.
   However, in case any statutory approvals are required by the Acquirer / the PACs at a later date before closure of the Tendering Period, the Offer shall be subject to such statutory approvals and the Acquirer shall make the necessary applications for such statutory approvals.
   NRI and OCB holders of the Equity Shares, if any, must obtain all requisite approvals required to tender the Equity Shares held by them in this Offer (including but not limited to, the approval from the RBI, since the Equity Shares validly tendered in this Offer will be acquired by a non-resident entity), if applicable, and submit such approvals along with the Form of Acceptance and other documents required to accept this Offer.
   Further, if the Public Shareholders who are not persons resident in India (including NRIs, OCBs, FIIs and FPIs) had required any approvals (including from the RBI or any other regulatory body) at the time of the original investment, in respect of the Equity Shares held by them currently, they will be required to submit copies of such previous approvals along with the other documents required to be tendered to accept this Offer.
   If such approvals are not submitted, the Acquirer and the PACs reserve the right to reject such Equity Shares tendered pursuant to this Offer. If the Equity Shares are held under the general permission of the RBI, the non-resident Shareholders should state that the Equity Shares are held under such general permission and whether such Equity Shares are held on a repatriable basis or a non-repatriable basis
9. **Schedule of Activities**
   The Schedule of Activities has been revised and the necessary changes have been incorporated in the LOF at all relevant places. The Revised Schedule of Activities is in compliance with the applicable provisions of SEBI (SAST) Regulations, 2011 and the same is as under:

Activity	Schedule	
	Day and Date	Revised Day and Date
Date of the Public Announcement	08.04.2021 (Thursday)	08.04.2021 (Thursday)
Date of publishing of the DPS	16.04.2021 (Friday)	16.04.2021 (Friday)
Last date of filing of the draft Letter of Offer with SEBI	26.04.2021 (Monday)	26.04.2021 (Monday)
Last date of Public Announcement for a Competing Offer(s)	18.05.2021 (Tuesday)	18.05.2021 (Tuesday)
Last date for receipt of comments from SEBI on the draft Letter of Offer (in the event SEBI has not sought clarification or additional information from the Manager to the Offer)	18.05.2021 (Tuesday)	14.06.2021 (Monday)
Identified Date*	19.05.2021 (Wednesday)	15.06.2021 (Tuesday)
Last date by which Letter of Offer will be dispatched to the Public Shareholders whose name appears on the register of members on the Identified Date	26.05.2021 (Wednesday)	22.06.2021 (Tuesday)
Last date by which the Committee of Independent Directors of the Board of Directors of the Target Company shall give its recommendations to the Public Shareholders of the Target Company for this Offer	31.05.2021 (Monday)	25.06.2021 (Friday)
Last date for Upward revision in Offer Price/ Offer Size	28.05.2021 (Friday)	24.06.2021 (Thursday)
Date of Publication of Offer opening Public Announcement in the newspaper in which DPS has been published	01.06.2021 (Tuesday)	28.06.2021 (Monday)
Date of commencement of Tendering Period ("Offer Opening Date")	02.06.2021 (Wednesday)	29.06.2021 (Tuesday)
Date of closure of Tendering Period ("Offer Closing date")	15.06.2021 (Tuesday)	12.07.2021 (Monday)
Last date of communicating the rejection/ acceptance and completion of payment of consideration or refund of Equity Shares to the Public Shareholders of the Target Company	28.06.2021 (Monday)	26.07.2021 (Monday)
Last Date for issue of post- offer advertisement	21.06.2021 (Monday)	16.07.2021 (Friday)

*Identified date is only for the purpose of determining the names of the shareholders as on such date to whom the Letter of Offer will be sent. It is clarified that all the Shareholders (registered or unregistered) of the Target Company (except the acquirer and the selling Shareholder) are eligible to participate in this offer any time during the tendering period of the Offer.

10. **Other Information:**
- The Acquirers accept full responsibility for the obligations of the Acquirers and the PACs as laid down in terms of the SEBI (SAST) Regulations and for the information (other than such information as has been provided or confirmed by the Target Company) contained in this Offer Opening Public Announcement cum Corrigendum.
- This Offer Opening Public Announcement cum Corrigendum would also be available on websites of SEBI at **www.sebi.gov.in**, Manager to the Offer at **www.ftfinsec.com**, and BSE at **www.bseindia.com.**

Issued by Manager of the Offer on behalf of the Acquirer:
Fastrack Finsec
Category-I Merchant Banker
FAST TRACK FINSEC PRIVATE LIMITED
B-502, Statesman House, 148 Barakhamba Road, New Delhi - 110001
Telephone: +91-11-43029809 | Email: vikasverma@ftfinsec.com
Investor Grievance Email: investor@ftfinsec.com
Website: www.ftfinsec.com
Contact Person: Mr. Vikas Kumar Verma
SEBI Reg. No: INM000012500 | CIN: U65191DL2010PTC200381

For & On behalf of Acquirers
Sd/-
Mr. Sanjiv Mulchand Sawla
(Acquirer 1)
Mr. Mulchnad Lakhamsi Sawla
(Acquirer 2)

Date: June 27, 2021
Place: New Delhi

MSTC LIMITED — हर एक काम देश के नाम
CIN: L27320WB1964GOI026211

लौह अयस्क की ई-नीलामी

तिरुपति पशुपत प्राइवेट लिमिटेड के नानी चिरई, गुजरात स्थित संयंत्र स्थल पर पड़े हुए 27445.426 मीट्रिक टन (अनुमानित) कोकिंग कोयले की बिक्री के लिए दिनांक 19.07.2021 को ई-नीलामी संख्या : 7428 आयोजित है। और अधिक जानकारी एवं पंजीकरण के लिए वेबसाइट : www.mstcecommerce.com या www.mstcindia.co.in देखें। संपर्क विवरण : ईमेल marutsaha@mstcindia.co.in एवं manidipadas@mstcindia.co.in; मोबाइल : 8420178283 तथा 9869037055. ई-निविदा से संबंधित किसी भी संशोधनी/संयोजनी/शुद्धि पत्र/ समय का विस्तार/स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, को सिर्फ एमएसटीसी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। खुद को अवगत रखने के लिए बोलीदाता को उपर्युक्त वेबसाइट नियमित रूप से देखनी होगी।

SBI
वित्तीय समावेशन एवं सूक्ष्म-बाजार, द्वितीय तल, एनबीसीसी प्लेस लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003
प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)
आरएफपी नं.: NBFC ALLIANCES/2021-22/1 दिनांकितः 19/06/2021
भारतीय स्टेट बैंक द्वारा एनबीएफसी के साथ परिचालनात्मक सह-ऋणप्रदाय मॉडल के लिए एक परामर्शदाता की संबद्धता हेतु योग्य बोलीकर्ताओं से बोलियाँ आमंत्रित की जाती हैं। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया **https://www.sbi.co.in** या **https://bank.sbi** पर 'प्रोक्योरमेंट न्यूज़' पर विज़िट करें।
आरएफपी के डाउनलोड का प्रारंभ : 25/06/2021
बोलियाँ जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय : 26/07/2021 को 15:00 बजे तक
उप-महाप्रबंधक (एनबीएफसी गठबंधन)

DECOROUS INVESTMENT AND TRADING COMPANY LTD.
Regd. Office: R-489, GF-B, New Rajinder Nagar, New Delhi - 110060
Tel: 9910003638, Email: decorous1982@gmail.com, Website: www.ditco.in
CIN: L67120DL1982PLC289090
EXTRACT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH 2021
(Rs. in thousands)

Particulars	Quarter ended			Year ended	
	31/03/2021	31/12/2020	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020
	Audited	Un-audited	Audited	Audited	Audited
Total Revenue	1,171.05	675.39	1,146.21	2,954.15	2,506.19
Total Expenses	1,913.59	324.25	1,365.59	2,935.1	2,386.81
PROFIT BEFORE TAX	(742.54)	351.14	(219.38)	11.55	119.38
Profit /(Loss) for the period	(747.84)	351.14	(250.66)	6.24	88.10
Earning per Share					
Basic	(0.217)	0.102	(0.07)	0.0018	0.03
Diluted	(0.217)	0.102	(0.07)	0.0018	0.03

NOTES:-
1 The audited standalone financial results of the Company for the quarter and year ended 31 March 2021 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 26th June 2021. The statutory auditors have expressed an unmodified audit opinion on these results.
2 No investor's complaint was received & No Complaint pending at the beginning or end of Quarter & Year.
3 Shares stand Listed at BSE & CSE.
4 Previous Year's / Quarterly figures have been regrouped / rearranged, wherever necessary.
5 Paid-up Capital = 34,50,000 equity shares of Rs. 10/- = Rs. 3,45,00,000/-
6 The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual financial results filed with stock exchanges u/r 33 of SEBI(LODR). The full format is available on the website of stock exchanges, www.bseindia.com and the company's website www.ditco.in
Place: New Delhi Date: 26.06.2021 Amit Gupta - Director DIN: 00074483

SWAGTAM TRADING AND SERVICES LIMITED
Regd. Office: R-489, GF-A, New Rajinder Nagar, New Delhi - 110060
Tel: 42475289, Email: swagtam1984@gmail.com, Website: www.swagtam.com
CIN: L51909DL1984PLC289131
EXTRACT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH 2021
(Rs. in thousands)

Particulars	Quarter ended			Year ended	
	31/03/2021	31/12/2020	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020
	Audited	Un-audited	Audited	Audited	Audited
Total Revenue	307.31	386.20	685.26	1,264.98	1,273.66
Total Expenses	481.25	374.86	311.71	1,522.36	1,284.31
PROFIT BEFORE TAX	(173.94)	11.34	373.55	(264.88)	(10.64)
Profit /(Loss) for the period	(147.30)	11.34	373.71	(238.24)	(10.48)
Earning per Share					
Basic	(0.12)	0.01	0.31	(0.20)	(0.01)
Diluted	(0.12)	0.01	0.31	(0.20)	(0.01)

NOTES:-
1 The audited standalone financial results of the Company for the quarter and year ended 31 March 2021 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 26th June 2021. The statutory auditors have expressed an unmodified audit opinion on these results.
2 No investor's complaint was received & No Complaint pending at the beginning or end of Quarter & Year.
3 Shares stand Listed at BSE & CSE.
4 Previous Year's / Quarterly figures have been regrouped / rearranged, wherever necessary.
5 Paid-up Capital = 11,90,500 equity shares of Rs. 10/- = Rs. 1,19,05,000/-
6 The above is an extract of the the detailed format of Quarterly/Annual financial results filed with stock exchanges u/r 33 of SEBI(LODR). The full format is available on the website of stock exchanges, www.bseindia.com and the company's website www.swagtam.com
Place: New Delhi Date: 26.06.2021 Sumit Gupta - Director DIN: 06911742

ऋण वसूली अधिकरण-III, चंडीगढ़
एससीओ नं. 33-34-35, सेक्टर 17-ए, चंडीगढ़
आरसी नं. 461/2017

पीएआरसी प्रा.लि. - प्रमाणपत्र धारक
बनाम
मै. कैशल कंक्रीट - प्रमाणपत्र ऋणधारक

प्रकाशन सूचना
(आरडीडीबी एवं अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के अंतर्गत सूचना)
सेवा में
1. मै. कैशल कंक्रीट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि., द्वारा उसके निदेशक श्री आशीष गोयल
पंजी. कार्यालयः # 155,II तल, फेज-IV, मोहाली (पंजाब)
2रा पताः मै. कैशल कंक्रीट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि., द्वारा उसके निदेशक श्री आशीष गोयल
साईट कार्यालयः बरोतीवाला- गुनई- कालका रोड (बद्दी- बरोतीवाला इंडस्ट्रियल एरिया) बरोतीवाला (हि.प्र.)
3रा पताः मै. कैशल कंक्रीट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि., द्वारा उसके निदेशक श्री आशीष गोयल
719, सेक्टर 40ए, चंडीगढ़
4था पताः मै. कैशल कंक्रीट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि., द्वारा उसके निदेशक श्री आशीष गोयल
बूथ नं. 229, सेक्टर-37-सी/डी, चंडीगढ़
2. श्री आशीष गोयल, पुत्र श्री विनोद कुमार गोयल (गारंटर),
निवासीः # 2396, फेज XI, मोहाली
2रा पताः श्री आशीष गोयल, पुत्र श्री विनोद कुमार गोयल (गारंटर),
निवासीः 40-एस, मॉडल टाउन, हिसार (हरियाणा)
3. श्रीमती सुमीता गोयल, पत्नी श्री आशीष गोयल (गारन्टर),
निवासीः # 2396, फेज XI, मोहाली
माननीय पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी ओ.ए. सं. 2011 के 564 में वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार रु. 1,33,70,090.50 पी की राशि आप पर बकाया हो गया है।
जैसा कि इस अधिकरण की संतुष्टि के लिए यह साबित हो चुका है कि सामान्य रूप से सर्व करना आपको संभव नहीं है, अतएव, इस सूचना के प्रकाशन के माध्यम से आपको निर्देश दिया जाता है कि 3.8.2021 को 11.00 बजे पूर्वा. में इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित हों।
ध्यान रहे कि निर्दिष्ट तिथि एवं समय पर आपके उपस्थिति नहीं होने पर इस मामले की सुनवाई एवं निपटारा आपकी अनुपस्थिति में ही की जाएगी।
मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर चंडीगढ़ में 23 अप्रैल, 2021 को दी गई।

वसूली अधिकारी-I
डीआरटी-III, चंडीगढ़

ऋण वसूली अधिकरण-III, चंडीगढ़
एस.सी.ओ. नं. 33-34-35, सेक्टर-17 ए, चंडीगढ़
आर.सी. नं. 363/2017

पीएआरसी प्रा. लि. प्रमाणपत्र धारक
बनाम
मै. ए.जी. प्रॉजेक्ट्स प्रमाणपत्र ऋणधारक

प्रकाशन सूचना
(आरडीडीबी एवं अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 के साथ पठित आय कर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के अंतर्गत सूचना)
सेवा में,
1. मै. ए.जी. प्रॉजेक्ट्स, द्वारा उसके प्रॉप. श्री आशीष गोयल, पुत्र श्री विनोद कुमार गोयल, जिसका पंजीकृत कार्यालय # 155, IIरा तल, फेज IV, मोहाली (पंजाब) में है।
2. श्री आशीष गोयल, पुत्र श्री विनोद कुमार गोयल, (गारंटर) निवासीः # 2396, फेज- XI, मोहाली
II रा पताः श्री आशीष गोयल, पुत्र श्री विनोद कुमार गोयल, (गारंटर), निवासीः 40-एस, मॉडल टाउन, हिसार (हरियाणा)
3. श्रीमती सुमीता गोयल, पत्नी श्री आशीष गोयल (गारन्टर): निवासीः # 2396, फेज- XI, मोहाली
4. मै. कैथल कंक्रीट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि., द्वारा उसके निदेशक श्री आशीष गोयल (गारन्टर) जिसका पंजीकृत कार्यालय # 155, IIरा तल, फेज IV, मोहाली (पंजाब) में है।
IIरा पताः मै. कैथल कंक्रीट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि., द्वारा उसके निदेशक श्री आशीष गोयल (गारन्टर), साईट कार्यालयः बरोतीबाला- गुनई-कालका रोड (बद्दी-बरोतीवाला इंडस्ट्रियल एरिया) बरोतीवाला (हि.प्र.)
IIIरा पताः मै. कैथल कंक्रीट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि., द्वारा उसके निदेशक श्री आशीष गोयल (गारन्टर), # 719, सेक्टर 40-ए, चंडीगढ़
IVथा पताः मै. कैथल कंक्रीट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि., द्वारा उसके निदेशक श्री आशीष गोयल (गारन्टर), बूथ नं. 229, सेक्टर-37-सी/डी, चंडीगढ़
माननीय पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी ओ.ए. नं. 2011 के 584 में वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार रु. 2,21,30,854.00 पी की राशि आप पर बकाया हो गया है।
जैसा कि इस अधिकरण की संतुष्टि के लिए यह साबित हो चुका है कि सामान्य रूप से सर्व करना आपको संभव नहीं है, अतएव, इस सूचना के प्रकाशन के माध्यम से आपको निर्देश दिया जाता है कि 3.8.2021 को 11.00 बजे पूर्वा. में इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित हों।
ध्यान रहे कि निर्दिष्ट तिथि एवं समय पर आपके उपस्थिति नहीं होने पर इस मामले की सुनवाई एवं निपटारा आपकी अनुपस्थिति में ही की जाएगी।
मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर चंडीगढ़ में 23 अप्रैल, 2021 को दी गई।

वसूली अधिकारी-I
डीआरटी-III, चंडीगढ़

ठाणे ग्रामीण भागात लसीकरणाचा वेग वाढवावा

ठाणे, दि. २७, (प्रतिनिधी) : ठाणे ग्रामीण क्षेत्रात लसीकरणाचा वेग वाढविण्यावर भर द्यावा, कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणासाठी लाभार्थी असणाऱ्या सर्व नागरिकांचे लसीकरण पूर्ण होईल, यादृष्टीने नियोजन करावे असे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. भाऊसाहेब दांगडे यांनी आरोग्य विभागाला दिले आहेत. कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य यंत्रणा सज्ज झाली असतानाच ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर लाभार्थी नागरिकांचे लसीकरण व्हावे यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत. लसीकरणाची प्रक्रिया सहज सुलभ व्हावी यासाठी ऑनलाइन आणि प्रत्यक्ष केंद्रावर नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. प्रत्येक केंद्राला दिलेले उद्दिष्ट साध्य करण्याबरोबर नागरिकांना लसीकरणासाठी माहिती, शिक्षण आणि संवादाद्वारे प्रोत्साहित करण्याच्या सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाऊसाहेब दांगडे यांनी आरोग्य विभागाला केल्या आहेत. लसीकरणासह नागरिकांची आरोग्य तपासणी, सर्वेक्षण आणि कोरोना चाचणीचे प्रमाण वाढविण्यावरही भर देण्यास सांगितले आहे. या आढावा बैठकीस अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. रूपाली सातपुते, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्जुन पवार, ग्रामपंचायत उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत पवार आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. मनीष रेंघे उपस्थित होते. ठाणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात आतापर्यंत १ लाख ४५ हजार ४१ नागरिकांचे लसीकरण झाले आहे. सद्यस्थितीत १८ वर्षांवरील सर्व नागरिकांचे लसीकरण करण्याची सुविधा सर्व शासकीय लसीकरण केंद्रांवर करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील लाभार्थी नागरिकांचे लसीकरण वेगाने होण्यासाठी ३३ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ९९ उपकेंद्रे, ग्रामीण रुग्णालय, उपरुग्णालयामध्ये लसीकरणाची सुविधा उपलब्ध करण्यात आलेली आहे.

ठाण्यात ११६ जणांचे बोगस लसीकरण

ठाणे, दि. २७, (प्रतिनिधी) : मुंबई पोलिसांनी बोगस लसीकरणप्रकरणी अटक केलेल्या आरोपींनी ठाण्यातील 'रेन्युबाय डॉट कॉम' या कंपनीतील कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय असे एकूण ११६ जणांना बोगस लस दिल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी नौपाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मुंबईतील बोगस लसीकरणप्रकरणी महेंद्र सिंह, श्रीकांत माने, संजय गुप्ता, सीमा आहुजा आणि करीम यांना मुंबई पोलिसांनी अटक केली आहे. या आरोपींच्या चौकशीमध्ये त्यांनी २६ मे रोजी ठाण्यातील नितीन कंपनी येथील रेन्युबाय डॉट कॉम विमा कंपनीतील कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय असे एकूण ११६ जणांचे लसीकरण केल्याचे सांगितले. लस घेणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीकडून आरोपींनी एक हजार रुपये घेतल्याचे समजते. याबाबत माहिती मिळाल्यानंतर कंपनीच्या व्यवस्थापकाने या प्रकरणी नौपाडा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. त्याआधारे नौपाडा पोलिसांनी पाचही आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. या आरोपींचा ताबा मिळविण्यासाठी नौपाडा पोलिसांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत.

बनावट यूएलसी प्रमाणपत्र प्रकरणः मिरा-भाईंदर महापालिकेचा नगररचनाकार ताब्यात

मीरा, दि. २७, (प्रतिनिधी) : मिरा-भाईंदर शहरातील गाजलेल्या यूएलसी घोटाळ्यातील मुख्य आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. या गुन्ह्यातील प्रमुख आरोपी असलेला महापालिकेचा साहाय्यक संचालक आणि नगररचनाकार दिलीप घेवारे गेल्या दोन आठवड्यांपासून फरार होता. गुरुवारी सकाळी गुजरातच्या सूरत येथे ठाणे गुन्हे शाखेने कारवाई करत त्याला बेड्या ठोकल्या आहेत. ठाणे गुन्हे अन्वेषण शाखेने या प्रकरणात आतापर्यंत तीन जणांना आधीच अटक केली आहे. मिरा-भाईंदर महापालिकेचे निवृत्त साहाय्यक नगररचनाकार सत्यवान धनेगावे (५४), कनिष्ठ आरेखक भरत कांबळे (५६) आणि वास्तुविशारद मदतनीस शेखर लिमये (५५) अशी अटकेत असलेल्या आरोपींची नावे आहेत. मुख्य आरोपी दिलीप घेवारे दोन आठवड्यांपासून फरार होता. अटकपूर्व जामिनासाठी त्याने सत्र न्यायालयात अर्ज केला होता. आज त्याच्या अटकपूर्व जामिनाची सुनावणी सत्र न्यायालयात ठेवण्यात आली आहे. त्याच्या आधीच गुन्हे शाखेने त्याला अटक केली आहे. मिरा-भाईंदर शहरात २०१६ मध्ये सुमारे १०२ कोटींचा यूएलसी घोटाळा झाला होता. मिरा-भाईंदर शहराच्या विकास आरखड्यानुसार जमीन रहिवास क्षेत्रात असतानाही ती हरित क्षेत्रात दाखवून काही विकासकांनी यूएलसीच्या सवलतीसाठी बनावट प्रमाणपत्रे मिळविली होती. त्याआधारे त्यांनी महापालिकेकडून परवानग्या घेऊन इमारतींचे बांधकाम केले आणि शासनाची आर्थिक फसवणूक केली होती. याबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारीच्या आधारे ठाणे पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. त्यावेळेस या गुन्ह्यात पाचजणांना अटक झाली होती. परंतु या गुन्ह्याचा तपास अचानकपणे थंडावला होता. या घोटाळ्याची फाईल ठाणे पोलिसांच्या गुन्हे अन्वेषण शाखेने पाच वर्षांनंतर पुन्हा उघडून तपास सुरू केला.